

मोहरी
1-15
5214

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर ५००९०४

निम्न 3636 I/2015

जबीन चूब-3136/2015

प्रकरणक्रमांक : /2015 निगरानी

इमरत सिंह पुत्र कमर सिंह, आयु 49 साल
जाति गुर्जर, निवासी : ग्राम बर्री, तहसील
बासोदा जिला विदिशा ५००९०४

निगरानी कर्ता

कनाम

कमर सिंह पुत्र के सिंह जाकिगुर्जर, धाटा
छोटी निवासीग्राम बर्री तहसील बासोदा
जिला विदिशा ५०० ९०४

श्री. अ. व. शर्मा एड.
द्वारा आज दि. 2-11-15 को
प्रस्तुत
विलक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
2-11-15

आर. व. शर्मा एड.
Rush
2-11-15

निगरानी अर्कित धारा 50 मध्य प्रदेश मु. राजस्व संहिता
विरुद्ध आदेश दिनांक 26-10-2015 न्यायालय अधिपतीय अर्कित
कारी बासोदा जिला विदिशा के प्रकरणक्रमांक 33 अपील/14-15
व उन्वान कमर सिंह कनाम इमरत सिंह आदि .

माननीय न्यायालय

निगरानी कर्ता की ओर से निगरानी निरूपकार

प्रस्तुत है :-

संक्षिप्त तथ्य :-


यह कि, अधिपतीय / निगरानी कर्ता के स्वतंत्र स्वामित्व
एवं अधिपतय की कृषि भूमि स्थित ग्राम बर्री तहसील
बासोदा के आराजी क्रमांक 124 / 1, 126/1, 265/2,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3636-एक/15

जिला - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	